रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 137] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 4, 1974/ज्येष्ठ 14, 1896
No. 137] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 4, 1974/JYAISTHA 14, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 1974

G.S.R. 258(E)/IDRA/30/1/74/9.—The following draft of certain rules further to amend the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after 30 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any persons with respect of the said draft before the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Registration and Licensing of Industrial Undertakings (Amendment) Rules, 1974.

2. In sub-rule (2) of rule 3 and in sub-rule (3) of rule 7 of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, for the figures and words "XXIX—Industries—Miscellaneous—Central", the figures, words and letter "120. Industries, A. General, Licence Fees" shall be substituted.

[No. 14/3/LP/74]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 4 जून, 1974

सा० का० नि० 258 (अ)/आई डी आर ए/30/1/74/9.—औद्योगिक उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित ऐसे सभी व्यक्तियों की जिनका उससे प्रभारित होना संभाव्य है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है उक्त प्रारूप पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व जो आक्षेप या सुझाव प्राप्त हो सकेंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का नाम औद्योगिक उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण और अनुज्ञापन (संशोधन) नियम, 1974 है ।

2. औद्योगिक उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 के नियम 3 के उपनियम (2) और नियम 7 के उपनियम (3) में "XXIX—उद्योग—प्रकीर्ण—केन्द्रीय" अंक और शब्दों के स्थान पर "120 उद्योग, क. साधारण, अनुज्ञप्ति फीस" अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ।

[14/3/एल पी/74]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974